

राजस्थान विधान सभा
पंचम सत्र
कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 31 अगस्त, 2010
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

(I) वित्त विभाग

1- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-103 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-104 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)वित्त/कर/09-105 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)वित्त/कर/09-58 दिनांक 3.11.2009 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-106 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-51-ए में अधिसूचना जारी कर वर्ष 2006-2007 की शास्तियों को माफ किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-107 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-95 दिनांक 9 मार्च, 2010 में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर-अनु/10-108 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2003 में संशोधन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-1 दिनांक 5.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या : एफ.4(18)वित्त/कर-अनु/01-02 दिनांक 7.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2003 में संशोधन किया गया है ;
- 9- अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/09-03 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा नवीं वार्षिक साधारण सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में ऑथोराईज अंशपूजी आठ सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 हजार करोड़ रुपये करने के क्रम में संशोधित आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर से छूट प्रदान की गई है;

- 10- अधिसूचना संख्या : एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस की अनुसूची में संशोधन किया गया है ;
- 11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/07-05 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा मैसर्स जगुआर एण्ड कम्पनी लि० भिवाड़ी को प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 12- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/2007-06 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा मध्यवर्ती अपंजीकृत दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 13- अधिसूचना संख्या : एफ.2(27)वित्त/कर/2010-07 दिनांक 29.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;
- 14- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/10-08 दिनांक 4.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान हेल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, मेडिकल एण्ड हेल्थ डिपार्टमेन्ट, राजस्थान को प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 15- अधिसूचना संख्या : एफ.2(70)वित्त/कर/2007-9 दिनांक 5.5.2010 जिसके द्वारा मैसर्स बाइमेर लिगनाईट माईनिंग कम्पनी लि० को स्टाम्प शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(40)वित्त/कर/2010-10 दिनांक 5.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस बाँडी को वैट में 5 प्रतिशत से अधिक कर की छूट प्रदान की गई है ;
- 17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-11 दिनांक 7.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची- II में संशोधन किया गया ;
- 18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-12 दिनांक 7.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत डीलर को बिटुमिन इमलसन एण्ड क्रम्प रबर मोडीफाईड बिटुमिन निर्माण में कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(142)वित्त/कर/09-13 दिनांक 7.5.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-70 दिनांक 11.7.2006 (समय-समय पर यथा- संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-14 दिनांक 24.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची- IV में संशोधन किया गया ;
- 21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(36)वित्त/कर/2010-15 दिनांक 26.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची- II में संशोधन किया गया ;
- 22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(36)वित्त/कर/10-16 दिनांक 26.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत राज्य में निर्मित एवं विक्रय किये गये कागज, कपड़े, सेल्यूलोज, कैनवास, जूट व कोर मेटेरियल के कैरी बैग को वैट से मुक्त किया गया है ;
- 23- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-17 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-11 दिनांक 8 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;

- 24- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-18 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-27 दिनांक 28.4.2006 में संशोधन किया गया है ;
- 25- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-19 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-54 दिनांक 27.8.2008 में संशोधन किया गया है ;
- 26- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-20 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-45 दिनांक 30 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;
- 27- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-21 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)वित्त/कर/08-80 दिनांक 10.11.2008 में संशोधन किया गया है ;
- 28- अधिसूचना संख्या : एफ.12(142)वित्त/कर/09-22 दिनांक 9.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-70 दिनांक 11.7.2006 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 29- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/10-23 दिनांक 22.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9 मार्च, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 30- अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-पार्ट-24 दिनांक 29.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-36 दिनांक 24.8.2007 में संशोधन किया गया है ;
- 31- अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-पार्ट-25 दिनांक 29.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-39 दिनांक 24.8.2007 में संशोधन किया गया है ;
- 32- अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-पार्ट-26 दिनांक 29.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-40 दिनांक 24.8.2007 को अतिष्ठित किया गया है ;
- 33- अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-पार्ट-27 दिनांक 29.6.2010 जिसके द्वारा सेज के अध्यक्षीन इकाइयों को निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;
- 34- अधिसूचना संख्या : एफ.12(86)वित्त/कर/09-28 दिनांक 30.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(86)वित्त/कर/09-76 दिनांक 27.1.2010 में संशोधन किया गया है ;
- 35- अधिसूचना संख्या : एफ.12(72)वित्त/कर/10-29 दिनांक 30.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 36- अधिसूचना संख्या : एफ.4(24)वित्त/कर/90-पार्ट-30 दिनांक 5.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 37- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)वित्त/कर/2004-31 दिनांक 7.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-21 दिनांक 28.6.2004 में संशोधन किया गया है ;

- 38- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/07-32 दिनांक 7.7.2010 जिसके द्वारा जयपुर की सहकारी गृह निर्माण समितियों की ऐसी आवासीय योजनायें, जिनमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन कैम्प आयोजित नहीं किया गया है, ऐसी आवासीय योजनाओं के नियमन कैम्प दिनांक 1.1.2010 से 31.3.2010 तक आयोजित करने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 39- अधिसूचना संख्या : एफ.4(16)वित्त/कर/2003-33 दिनांक 7.7.2010 जिसके द्वारा मैसर्स सिमको बिडला लिमिटेड, भरतपुर द्वारा देय रेल्वे वैगन/लोकोमोटिव्ज/कोचेज के अन्तर्राज्यीय बिक्री के संबंध में फॉर्म "सी" की उपलब्धता पर कर की दर 1 प्रतिशत की गई है ;
- 40- अधिसूचना संख्या : एफ.4(16)वित्त/कर/2003-34 दिनांक 8.7.2010 जिसके द्वारा मैसर्स सिमको बिडला लिमिटेड, भरतपुर को देय किशतों पर बकाया देय कर पर छूट प्रदान की गई है;
- 41- अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/08-35 दिनांक 15.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2003 के अन्तर्गत जापानी जोन में स्थापित इकाइयों पर सी.एस.टी. की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत की गई हैं ;
- 42- अधिसूचना संख्या : एफ.12(111)वित्त/कर/09-36 दिनांक 15.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया हैं;
- 43- अधिसूचना संख्या : एफ.4(38)वित्त/कर/2000-पार्ट-37 दिनांक 15.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-20 दिनांक 8.7.2009 में संशोधन किया गया हैं ;
- 44- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-38 दिनांक 20.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 द्वारा वर्ष 2010-2011 में रुपये 350.00 करोड़ के परिवर्तनीय बॉण्ड जारी करने पर इन अपरिवर्तनीय बॉण्ड पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम कर 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा ;
- 45- अधिसूचना संख्या : एफ.24(3)वित्त/कर/09-39 दिनांक 20.7.2010 जिसके द्वारा सैटलमेन्ट स्कीम फॉर सिनेमा, 2010 जारी की गई है ;
- 46- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-40 दिनांक 21.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया हैं ;
- 47- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/10-41 दिनांक 21.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/10-12 दिनांक 7.5.2010 में संशोधन किया गया हैं;
- 48- अधिसूचना संख्या : एफ.12(154)वित्त/कर/09-42 दिनांक 22.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया हैं;
- 49- अधिसूचना संख्या : एफ.12(70)वित्त/कर/2010-43 दिनांक 28.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/2010-80 दिनांक 9 मार्च, 2010 में शुद्धि-पथ जारी किया गया हैं ;
- 50- अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)वित्त/कर/09-44 दिनांक 28.7.2010 जिसके द्वारा परिपत्र संख्या: प.12(52)वित्त/कर/09 दिनांक 26.11.2009 जारी कर संविदा आधार पर कर संग्रहण नीति-2009 में संशोधन किया गया हैं ;

- 51- अधिसूचना संख्या : एफ.2(46)वित्त/कर/10-45 दिनांक 28.7.2010 जिसके द्वारा फलेट्स के हस्तान्तरण दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क में दी गई रियायत के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या : एफ.4(67)वित्त/कर/2004-59 दिनांक 12.7.2004 को विद्वा किया गया है;
- 52- अधिसूचना संख्या : एफ.10(47)वित्त/कर/93-46 दिनांक 3.8.2010 जिसके द्वारा डीएनए को गोलछा सिनेमा, जयपुर में दिखाई जाने वाली कतिपय बाल फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ;
- 53- अधिसूचना संख्या : एफ.12(96)वित्त/कर/2010-47 दिनांक 5.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 54- अधिसूचना संख्या : एफ.12(96)वित्त/कर/10-48 दिनांक 5.8.2010 जिसके द्वारा मैसर्स प्रिमियर ब्रान्ड्स प्राईवेट लि0, जोकि कोमनवेल्थ गेम्स, दिल्ली, 2010 का लाईसेंस है, को राज्य में खेल सामग्री के विक्रय पर दिनांक 31.10.2010 तक वैट में छूट प्रदान की गई है ;
- 55- अधिसूचना संख्या : एफ.12(118)वित्त/कर/2009-49 दिनांक 5.8.2010 जिसके द्वारा एसएलसी द्वारा अनुमोदन पश्चात् कतिपय एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों को उनके निर्माण, उत्पादन व माल के प्रोसेसिंग पर उपभोग में ली गई बिजली पर विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 56- अधिसूचना संख्या : एफ.12(118)वित्त/कर/2009-50 दिनांक 5.8.2010 जिसके द्वारा एसएलसी द्वारा अनुमोदन पश्चात् कतिपय एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों को स्थापित करने के लिये लीज पर क्रय की गई भूमि के विलेख पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 57- अधिसूचना संख्या : एफ.12(118)वित्त/कर/09-51 दिनांक 5.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2003 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;
- 58- अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/10-52 दिनांक 9.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.10(6)वित्त/कर-अनु/99-168 दिनांक 26.3.1999 को अतिष्ठित किया गया है ;
- 59- अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/8-53 दिनांक 17.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/2008-35 दिनांक 15.7.2010 जापान एक्सट्रनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन की इकाइयों के संबंध में स्पष्टीकरण किया गया है ;
- 60- अधिसूचना संख्या : एफ.2(34)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 18.8.2010 जिसके द्वारा बीमार औद्योगिक इकाइयों के प्रथम हस्तान्तरण के दस्तावेज पर सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 61- अधिसूचना संख्या : एफ.12(16)वित्त/कर/10-55 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा मैसर्स होन्डा मोटरसाईकिल एण्ड स्कूटर्स इंडिया प्रा0 लि0 टपूकड़ा (अलवर) द्वारा राज्य में उनके द्वारा निर्मित दो पहिया वाहन स्पेयर पार्ट्स व उनके कम्पोनेन्ट्स को अन्तर्राज्यीय बिक्री व वाणिज्य की दशा में सी फॉर्म में घोषणा देने पर केन्द्रीय विक्रय कर 0.05 प्रतिशत की दर से चार्ज किया जाएगा ;

- 62- अधिसूचना संख्या : एफ.12(16)वित्त/कर/10-56 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा मैसर्स होन्डा मोटरसाईकिल एण्ड स्कूटर्स इंडिया प्रा० लि० टपूकड़ा (अलवर) द्वारा राज्य में उनके द्वारा निर्मित दो पहिया वाहनों के उत्पादन में उपभोग की गई बिजली पर एमओयू में निर्धारित तिथि से 14 वर्ष की अवधि के लिये विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है;
- 63- अधिसूचना संख्या : एफ.12(47)वित्त/कर/10-57 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
- 64- अधिसूचना संख्या : एफ.2(47)वित्त/कर/10-58 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)वित्त/कर/98-पार्ट-103 दिनांक 27.9.2004 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को विद्वा किया गया है ;
- 65- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-59 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9 मार्च, 2007 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 66- अधिसूचना संख्या : एफ.2(36)वित्त/कर/10-60 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)वित्त/कर/98-45 दिनांक 22.5.2003 को अधिक्रमित किया गया है ;
- 67- अधिसूचना संख्या : एफ.5(21)वित्त/कर/10-61 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिये निष्पादित शपथ-पत्रों पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है ;
- 68- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-62 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 69- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-63 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 जारी की गई है ;
- 70- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/10-64 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-3(3) में अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में पात्र इकाइयों को 7 वर्ष के लिये एवं एमएसएमई की दशा में 10 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ;
- 71- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/2010-65 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा-7(2) में अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में पात्र इकाइयों को 7 वर्ष के लिये एवं एमएसएमई की दशा में 10 वर्ष के लिये मनोरंजन कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ;
- 72- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/2010-66 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के तहत अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 के तहत स्थापित होने वाली इकाइयों के क्रय या लीज पर ली गई भूमि में 50 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है ;

- 73- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/2010-67 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा-53 के तहत अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में पात्र इकाइयों को 7 वर्ष के लिये भूमि कर में छूट प्रदान की गई हैं ;
- 74- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/2010-68 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा विलासों पर (होटल एवं लोजिंग हाऊस) कर अधिनियम, 1990 की धारा-7(1) में अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में पात्र इकाइयों को 7 वर्ष के लिये तथा एमएसएमई की दशा में 10 वर्ष के लिये संदेय कर में छूट प्रदान की गई हैं ; एवं
- 75- अधिसूचना संख्या : एफ.2(44)वित्त/कर/10-69 दिनांक 26.8.2010 जिसके द्वारा ऑथोराइज्ड शेयर केपिटल बढ़ाने पर कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय 25 लाख रुपये से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है ।

(II) कार्मिक विभाग

- 2- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, कार्मिक विभाग के आदेश संख्या: एफ.7(8)डीओपी/ए-2/2008 दिनांक 06 मई, 2010 जिसके द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग को राज्य सेवाओं में भर्ती एवं प्रवेश के लिये 01 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे।
- 3- श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री, उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

(III) उपनिवेशन विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(11)उप/96 दिनांक 23 अप्रैल, 2010, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कॉलोनी) शर्तें, 1955 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)उप/2010 दिनांक 13.5.2010, जिसके द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में अनुपयुक्त सरकारी कृषि भूमियों का विद्यालय, महाविद्यालय, डिस्पेन्सरी, धर्मशाला और लोक उपयोगिता के अन्य भवनों के सन्निर्माण के लिये भूमि आवंटन हेतु राजस्व नियमों को अंगीकृत किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(5)उप/2010 दिनांक 21.5.2010, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्रों की स्थापना के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 2007 को उपनिवेशन क्षेत्रों में लागू किया गया है ; एवं
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)उप/2010 दिनांक 9.8.2010, जिसके द्वारा नायब तहसीलदारों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा-22 की शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं ;

(IV) राजस्व विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06-पार्ट/6 दिनांक 26.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92-पार्ट/7 दिनांक 1.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(7)राज/ग्रुप-6/91-पार्ट/10 दिनांक 23.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रंगाई, छपाई, विरजन एवं धुलाई उद्योगों के लिये भूमि का संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण एवं कुओं का उपयोग) नियम, 1991 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92-पार्ट/12 दिनांक 3.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.9(31)राज-6/2006/18 दिनांक 4.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान गेलेन्टरी अवार्ड (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(54)राज-6/2001-पार्ट/19 दिनांक 4.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1959 में संशोधन किया गया है ;

(V) आबकारी विभाग

- 4- श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-
- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(9)वित्त/आब/10 दिनांक 01.04.2010 (3/2010) जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा-71(2) के अन्तर्गत राज्य में शोधित प्रासव एवं ई.एन.ए. के उत्पादकों को राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम-69(बी) के अनुसार निर्यात हेतु देय परमिट फीस में 90 प्रतिशत की राशि की छूट वर्ष 2010-11 के दौरान उत्पादित उस मात्रा पर प्रदान की गई है, जो उनके द्वारा वर्ष 2009-10 में उत्पादित मात्रा की 120 प्रतिशत से अधिक होगी ;

- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(9)वित्त/आब/10 दिनांक 01.04.2010 (4/2010) जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 जारी कर नियम-67-ए उपस्थापित किया गया है, जिसके द्वारा शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में देशी मदिरा के अनुज्ञाधारियों को निर्धारित कम्पोजिट राशि जमा कराने पर भा.नि.वि. मदिरा/बीयर बेचने की अनुमति दिये जाने की व्यवस्था की गई है साथ ही नियम-69-बी में संशोधन कर शोधित प्रासव/ई.एन.ए. राज्य में लाने हेतु परमिट फीस 7.00 रुपये प्रति ब.ली. के स्थान पर 3.00 रुपये प्रति ब.ली. निर्धारित की गई है ; एवं
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(8)वित्त/आब/2008 दिनांक 24.05.2010 (5/2010) जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा उत्पादित हैरिटेज मदिरा पर देय आबकारी शुल्क में 50 प्रतिशत राशि की माफी दी गई है ।

(VI) पंचायती राज विभाग

- 5- श्री भरत सिंह, पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.4(3)एएम/रूल/लीगल/पीआर/2010/1095 दिनांक 21.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

(VII) परिवहन विभाग

- 6- श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(121)परि/कर/मु/04 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा सुकृत सेवा समिति के अधीन संचालित लोकमित्र थैलीसीमिया फाउण्डेशन ऑफ राजस्थान के वाहन , चैसिस नम्बर-92के21625 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(145)परि/कर/मु/10 दिनांक 18.5.2010 जिसके द्वारा आर्ष विद्या तीर्थ, जयपुर के वाहन (स्कूल बस) चैसिस नम्बर-एमसी-217केआरटीओएबी-195644 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(138)परि/कर/मु/2004 दिनांक 25.5.2010 जिसके द्वारा श्री कल्याण आरोग्य सदन, सीकर के वाहन चैसिस नम्बर-83एच61877 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(96)परि/कर/मु/उर्स दिनांक 2.6.2010 जिसके द्वारा दिनांक 10.6.2010 से 23.6.2010 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर आने/जाने वाले यात्री वाहनों के लिये रुपये 3500/- से अधिक के कर का परिहार किया गया है ;

- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.6(77)परि/कर/मु/04 दिनांक 2.6.2010 जिसके द्वारा नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वाहन, जिसका पंजीयन क्रमांक -आरजे04पी0039 है, को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(69)परि/कर/मु/87 दिनांक 21.6.2010 जिसके द्वारा अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि0 के 30 वाहनों को क्रय तिथि से पंजीयन तिथि तक की अवधि के लिये कर मुक्त किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या : एफ.6(229)परि/कर/मु/04 दिनांक 23.8.2010 जिसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर के वाहन संख्या-आरजे-14-पी-7500 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या : एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 23.8.2010 जिसके द्वारा क्यूआरजी फाउण्डेशन, अलवर के नाम 03 वाहनों को मिड डे मील वितरण कार्य हेतु कर मुक्त किया गया है ;
- 9- अधिसूचना संख्या : एफ.6(62)परि/कर/मु/08 दिनांक 23.8.2010 जिसके द्वारा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा इन्टरप्रिटेशन एण्ड एनालिसिस (आई इंडिया) संस्थान के वाहन संख्या-आरजे-14-1पी-349 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ; एवं
- 10- अधिसूचना संख्या : एफ.7(229)परि/रूल्स/एचक्यू/2003/71177 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 को संशोधित किया गया है।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(1) श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) वर्ष 2005-2006;

II- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009; एवं

III - मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009

(2)- डॉ0 जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 के अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(3)- श्री रामलाल जाट, खनिज राज्यमंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि0 का 62वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे ।

**3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार**

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति 2002-03 के 148वें प्रतिवेदन (11 वीं विधान सभा) में समाविष्ट ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2010-11 का 39वाँ प्रतिवेदन ।
2. सी.ए.जी.प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2000-01 के अनुच्छेद संख्या 4.7, 4.9, 4.11 वर्ष 2001-02 का अनुच्छेद संख्या 4.6, 4.8 तथा वर्ष 2004-05 के अनुच्छेद संख्या 4.1.2, 4.2.3, 4.2.4 तथा 4.4.5 जल संसाधान विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-11 का 40वाँ प्रतिवेदन।
3. सी.ए.जी.प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2003-04 के अनुच्छेद संख्या 3.5 में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-11 का 41वाँ प्रतिवेदन ।
4. जनलेखा समिति वर्ष 2007-08 के 220वें प्रतिवेदन (12 वीं विधान सभा) में समाविष्ट सी.ए.डी. विभाग से संबंधित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2010-11 का 42वाँ प्रतिवेदन।
5. सी.ए.जी.प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2005-06 के पैरा संख्या 4.1.7, 4.1.9, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 वर्ष 2006-07 का पैरा संख्या 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9 तथा वर्ष 2007-08 के पैरा संख्या 2.5, 4.2.4 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-11 का 43वाँ प्रतिवेदन।

6. जनलेखा समिति के 2002-03 के 173वें प्रतिवेदन (11 वीं विधान सभा) में समाविष्ट गृह,वित्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, तकनीकी शिक्षा, पशु पालन तथा भेड़ व ऊन विभाग से संबंधित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2010-11 का 44वाँ प्रतिवेदन।
7. सी.ए.जी.प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2004-05 के अनुच्छेद संख्या 4.2.2 इन्दिरा गांधी नहर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-11 का 45वाँ प्रतिवेदन।
8. जनलेखा समिति 2006-07 के 182वें प्रतिवेदन (12 वीं विधान सभा) में समाविष्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2010-11 का 46वाँ प्रतिवेदन।
9. सी.ए.जी.प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2002-03 के अनुच्छेद संख्या 4.2.2 तथा वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.3.2 इन्दिरा गांधी नहर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-11 का 47वाँ प्रतिवेदन।
10. सी.ए.जी.प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2005-06 के अनुच्छेद संख्या 3.2 प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-11 का 48वाँ प्रतिवेदन।
11. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड दौसा उप खण्ड महुवा बजुर्ग क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में सम्मिलित गांव खोहदा मुल्ला (धौला कुआँ एवं बीच का पुरा) में वर्ष 2004-05 में पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से उपलब्ध कराने हेतु बनाये गये नलकूप/जल वितरण पाईप लाईन आदि का उपयोग जनहित में नहीं करने, विभाग द्वारा निरर्थक व्यय करने और राज्य कोष को हानि पहुँचाने आदि के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन मा0 अध्यक्ष महोदय, विधान सभा द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 229(4) के तहत जांच हेतु जनलेखा समिति को निर्दिष्ट किये जाने पर समिति का यह विशेष प्रतिवेदन प्रक्रिया के नियम 201 के अन्तर्गत जनलेखा समिति, 2010-11 का 49वाँ प्रतिवेदन।
12. जनलेखा समिति, 2004-05 (12 वीं विधान सभा) के 98वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2010-11 का 50वाँ प्रतिवेदन।
13. वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2010-11 का 51वाँ प्रतिवेदन।

2- श्रीमती जकिया, सभापति राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का बीसवां प्रतिवेदन ;
2. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का इक्कीसवां प्रतिवेदन ;
3. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का बाईसवां प्रतिवेदन ;
4. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का तेईसवां प्रतिवेदन ;
5. राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 1997-1998) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2006-2007 के 59वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक चौबीसवां प्रतिवेदन ;
6. राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 72वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का पच्चीसवां प्रतिवेदन ;
7. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2008-2009 के 84वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का छब्बीसवां प्रतिवेदन ;
8. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2008-2009 के 86वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का सत्ताईसवां प्रतिवेदन ;

3- श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1. राज्य में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट, दहेज उत्पीड़न, दहेज के लिये प्रताड़ना, हत्या के लिये धमकी देना व झूठे आरोपों पर कार्यवाही संबंधी महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का दसवां प्रतिवेदन ;
2. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के द्वारा महिला सैन्ट्रल जेल के आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का ग्यारहवां प्रतिवेदन ;
3. महिलाओं के साथ दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा जान से मारने की धमकी एवं अन्य उत्पीड़न संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का बारहवां प्रतिवेदन ;
4. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय शिशुगृह, बालिका गृह एवं राजकीय कन्या छात्रावास गांधीनगर के दिनांक 18.5.2004 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण से संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का तेरहवां प्रतिवेदन ;
5. जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर के दिनांक 13.10.1999 एवं 26.8.2004 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का चौदहवां प्रतिवेदन ;
6. उत्पीड़ित महिलाओं एवं संस्थाओं की ओर से प्राप्त शिकायतों तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रकरणों का निराकरण करवाने संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ;
7. महिला बन्दीगृह, केन्द्रीय कारागार, जयपुर का आकस्मिक निरीक्षण (दिनांक 13 नवम्बर, 2009) संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का सोलहवां प्रतिवेदन ;
8. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के चतुर्थ प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक सत्रहवां प्रतिवेदन ; एवं
9. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के सप्तम प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक अठारवां प्रतिवेदन।

4- श्री प्रकाश चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2010--2011, कार्मिक, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रारम्भिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, गृह, कला एवं संस्कृति, देवस्थान, परिवहन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, वित्त, नगरीय विकास एवं आवासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नागरिक उड्डयन, राजस्व, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन, खनिज, वन, सहकारिता, विधि एवं न्याय, सहायता, सामान्य प्रशासन, सिंचाई, आयुर्वेद, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण तकनीकी शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन एवं आयोजना विभाग से संबंधित समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

5- श्री श्रवण कुमार, सभापति, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2010--2011, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं बीपीएल परिवारों की गंभीर बीमारियों हेतु राज्य सरकार तथा मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभान्वित व्यक्तियों के संबंध में किये जा रहे कार्य-कलापों से संबंधित समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

6- श्री भगवान सहाय सैनी, सभापति, याचिका समिति, 2010--2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में चतुर्थ प्रतिवेदन ; एवं
2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में पंचम प्रतिवेदन ।

5. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

I- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के प्रताप नगर के सार्वजनिक पार्कों की मरम्मत बाबत् ; एवं

II- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने एवं विद्यालय क्रमोन्नयन बाबत् ।

6. विधायी कार्य

(अ) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
राजस्थान नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-18)
"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(II) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
राजस्थान नगर सुधार(संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-19)
"राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(III) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
जयपुर विकास प्राधिकरण(संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-20)
"जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(IV) जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
जोधपुर विकास प्राधिकरण(संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-21)
"जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(V) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-22) "राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(VI) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-23) "राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(VII) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
राजस्थान पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-24) "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(VIII) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
राजस्थान पंचायती राज(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-25) "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान नगरपालिका(संशोधन)
विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-18)
- "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जाएंगे)**
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- राजस्थान नगर सुधार(संशोधन)
विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-19)
- "राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जाएंगे)**
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
- जयपुर विकास प्राधिकरण(संशोधन)
विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-20)
- "जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जाएंगे)**
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

जोधपुर विकास प्राधिकरण
(संशोधन) विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-21)

"जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009
को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये
जाएंगे)**

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**एच.आर. कुड़ी
सचिव**

**विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 30 अगस्त, 2010**